न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 124/2024(GCMS : 2024/180)

ICICI Bank Limited, Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara, Gujarat- 390007, **Corporate Office Address** : ICICI Bank Limited, Bank Tower, Bandra Kurla Compeex, Mumbai, Maharashtra-400051, **Jaipur Regional Office Address** : ICICI Bank Limited, Jaipur Stock Exchange Building, Block No. 4, JLN Marg, Malviya Nagar, Jaipur,Rajasthan -302017, **Chandigarh Branch Office Address** : ICICI Bank Limited, SCO 143 A 3rd Floor, City Emporium Industrial Area, Phase-I, Chandigarh-160002 , **Through Authorized Officer : Mr. Ashish Bhanot**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. **M/s Pear Coal Company**, Represented by Proprietor Mr. Rajeev Kumar Garg **Address 1**. SCO 4 FF, Neelkanth Plaza, Dhakoli Zirakpur, Mohali, Pumjab – 140603 **Address : 2** Commercial Property Shop No. 2, Des Rak.Tej Raj Dhan Mandi, Karan Puri, Sriganganagar, Rajasthan-335073
2. **Mr. Rajeev Kumar Garg** s/o Mr Kewal Krishan **Address 1**. SCO 4 FF, Neelkanth Plaza, Dhakoli Zirakpur, Mohali, Pumjab – 140603 **Address : 2** Flat No. 202, 2nd Floor, Sushma Crescent, Block-F, Derabassi, Chandigarh, Punjab-140507
3. **Mr. Sanjay Garg** S/o Mr. Ramesh Pal Garg **Address 1**. SCO 4 FF, Neelkanth Plaza, Dhakoli Zirakpur, Mohali, Pumjab – 140603 **Address : 2** Commercial Property Shop No. 2, Des Rak.Tej Raj Dhan Mandi, Karan Puri, Sriganganagar, Rajasthan-335073
4. **Mr. Sunil Garg** S/o Mr Ramesh Pal Garg **Address 1.** SCO 4 FF, Neelkanth Plaza, Dhakoli Zirakpur, Mohali, Pumjab – 140603 **Address : 2.** 2 A Ward – 18C, Karanpur,Sriganganagar, Rajasthan-335073

16.10.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री कमल कुमार ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 10.09.2024 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स पर्ल कॉल कम्पनी–प्रो. राजीव कुमार गर्ग, राजीव कुमार गर्ग, संजय गर्ग, सुनील गर्ग को ऋण सुविधा के रूप में 40.00 लाख ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 19.01.2022 को प्रदान की गई। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 01.03.2023 को 42,25,059/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:38:18 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

एवज में **अप्रार्थी संजय गर्ग एवं सुनील गर्ग द्वारा बंधक रखी अपनी अचल वाणिज्यिक सम्पत्ति दुकान नं. 2 (क्षेत्रफल 1260 वर्गफुट), देशराज तेजाराम धानमण्डी, करणपुर, श्रीगंगानगर, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा सम्मिलित है। (चारो सीमाएं उत्तर में उपरोड़, दक्षिण में रोड़, पूर्व में दुकान संख्या 2 का शेष भाग/देशराज प्रेमप्रकाश, पश्चिम में दुकान संख्या 2 का शेष भाग/प्रेम प्रकाश),** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मैसर्स पर्ल कॉल कम्पनी – प्रो. राजीव कुमार गर्ग, राजीव कुमार गर्ग, संजय गर्ग, सुनील गर्ग को ऋण सुविधा के रूप में 40.00/– लाख रूपये **(अखये रूपये चालीस लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक 19.01.2022 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी संजय गर्ग एवं सुनील गर्ग ने अपनी अचल **वाणिज्यिक सम्पत्ति दुकान नं. 2 (क्षेत्रफल 1260 वर्गफुट), देशराज तेजाराम धानमण्डी, करणपुर, श्रीगंगानगर, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा सम्मिलित है। (चारो सीमाएं उत्तर में उपरोड़, दक्षिण में रोड़, पूर्व में दुकान संख्या 2 का शेष भाग/देशराज प्रेमप्रकाश, पश्चिम में दुकान संख्या 2 का शेष भाग/प्रेम प्रकाश),** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 06.05.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक [illegible] 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक/प्राप्ति [illegible] नहीं है। प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस अप्रा[illegible] चस्पा कर, दो समाचार पत्रों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:38:18 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

प्रकाशित करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस के प्राप्त हो गये है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों **पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी संजय गर्ग एवं सुनील गर्ग की अचल वाणिज्यिक सम्पत्ति दुकान नं. 2 (क्षेत्रफल 1260 वर्गफुट), देशराज तेजाराम धानमण्डी, करणपुर, श्रीगंगानगर, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा सम्मिलित है। (चारो सीमाएं उत्तर में उपरोड़, दक्षिण में रोड़, पूर्व में दुकान संख्या 2 का शेष भाग/देशराज प्रेमप्रकाश, पश्चिम में दुकान संख्या 2 का शेष भाग/प्रेम प्रकाश), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 31.03.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 03.04.2023 को भिजवाये गये थे, जिसके प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक/प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इसके पश्चात प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस उसकी सम्पत्ति पर दिनांक 12.06.2023 चस्पा कर, दो समाचार पत्रों प्रातः काल और इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 31.10.2023 को प्रकाशित करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:38:18 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

गए है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **संजय गर्ग और सुनील गर्ग** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आईसीआईसीआई का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **संजय गर्ग और सुनील गर्ग द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल वाणिज्यिक सम्पत्ति दुकान नं. 2 (क्षेत्रफल 1260 वर्गफुट), देशराज तेजाराम धानमण्डी, करणपुर, श्रीगंगानगर, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा सम्मिलित है। (चारो सीमाएं उत्तर में उपरोड़, दक्षिण में रोड़, पूर्व में दुकान संख्या 2 का शेष भाग/देशराज प्रेमप्रकाश, पश्चिम में दुकान संख्या 2 का शेष भाग/प्रेम प्रकाश), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:38:18 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर